1

राजस्व लोक अदालत केम्प खन्नौड़ा तहसील पचपदरा

न्यायालय सहायक कलेक्टर (एस.डी.ओ.) बालोतरा

पीठासीन अधिकारी : श्री भागीरथ राम, आर.ए.एस

2018/01417

मुकदमा न0 60 / 2018

अपीलाण्टगण	बनाम	रेस्पोडेन्ट
1. खीमाराम पुत्र प्रतापराम जाति मेगवाल निवासी थोब		1. सरपंच ग्राम पंचायत खन्नौड़ा

अपील अंतर्गत धारा 75 रा.भू.राजस्व अधिनियम विरूद्व ग्राम पंचायत पाटोदी

आदेश दिनांकः—19.06.2017

यह अपील अपीलान्ट के द्वारा अर्न्तगत धारा 75 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 के अन्तर्गत यह है कि अपीलांट ने सरहद मौजा खारड़ी के खेत खसरा नम्बर 537 रकबा 29. 12 बीघा में से 3 बीघा भूमि प्रतापराम वल्द डूंगराराम जाति गरूड़ा से दिनांक 20.07.2015 को पुस्तक संख्या 1 जिल्द सख्या 7 में पृष्ठ संख्या 140 क्रम संख्या 537 पर पंजीबद्व करवायी गई रजिस्ट्री है। अपीलांट से उक्त बैचान दस्तावेज की छाया प्रति के आधार पर पटवारी हल्का खन्नोड़ा द्वारा नामान्तरण संख्या 444 दिनांक 21.9.15 किया गया। पटवारी हल्का खनौड़ा द्वारा बेचान दस्तावेज के अनुसार खीमाराम पुत्र प्रतापराम की बजाय भीमाराम पुत्र प्रतापराम लिपीकीय भूल से दर्ज कर दिया गया।

पत्रावली का अवलोकन किया गया। अपीलांट के बयान मजमें आम पूछताछ, सरपंच ग्राम पचायत खनोडा के बयान एवं बेचान दस्तावेज की प्रति के अनुसार खीमाराम पुत्र प्रतापराम के नाम से नामान्तरण होना चाहिए था। अतः अपीलांट की अपील स्वीकार योग्य है।

अपीलांट की अपील स्वीकार की जाकर ग्राम खारड़ी के नामान्तरण संख्या 444 अपास्त किया जाता है। भीमाराम पुत्र प्रतापराम की बजाय खीमाराम पुत्र प्रतापराम राजस्व रेकर्ड में दुरस्त करने का आदेश दिया जाता है। तहसीलदार पचपदरा को राजस्व रेकर्ड दुरस्त करने के आदेश जारी हो।

आदेश राजस्व लोक अदालत 2018 न्याय आपके द्वारा खन्नौड़ा खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

पत्रावली फैसल सुमार होकर के दाखिल दफतर हो ।

(भागीरथ राम)
सहायक कलक्टर,
(एस.डी.ओ.) बालोतरा

(भागीरथ राम)
पीठासीन अधिकारी लोक अदालत / कोर्ट कैम्प-2018
उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलेक्टर
बालोतरा कैम्प......[illegible]......

Scanned by CamScanner